



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 2735 /80/विज्ञापन/2019

रायपुर दिनांक 04/10/2021

:: शुद्धि-पत्र ::

छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा-2020

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 11/10/2021 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 30/10/2021 रात्रि 11:59 बजे तक

लिखित परीक्षा की तिथि : 05/12/2021

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के विन्हाकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/10/2021 को मध्याह्न 12:00 बजे से 30/10/2021 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/10/2021 अपराह्न 12:00 बजे से 04/11/2021 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 05/11/2021 को मध्याह्न 12:00 बजे से 09/11/2021 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू.100/- (रुपये एक सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट :-

जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 16/06/2020 से 15/07/2020 तक छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा-2020 हेतु आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

पूर्व में प्राप्त तथा शुद्धि-पत्र में दर्शित अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए पूर्व में संभाग स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों को निरस्त करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश जिलों में नए परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें दिनांक 31/10/2021 मध्याह्न 12:00 बजे से 04/11/2021 रात्रि 11:59 बजे तक परीक्षा केन्द्र का चुनाव का विकल्प दिया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र का चुनाव ऑनलाइन के माध्यम से केवल एक बार ही कर सकते हैं।

पूर्व में आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित उक्त दिनांक 31/10/2021 मध्याह्न 12:00 बजे से 04/11/2021 रात्रि 11:59 बजे तक अवधि में परीक्षा केन्द्र का चुनाव नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जा सकेगा, जो अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा। उक्त प्रकरणों में आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रपाल के कुल रिक्त 178 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2020/परीक्षा/दिनांक 04/06/2020 जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन की कंडिका 02(i) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(1) पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता :-

सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपाल :-

(i) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता:-

(1) उम्मीदवार के पास -

(एक) पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान,

(दो) वनस्पति विज्ञान,

(तीन) कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान,

(चार) पर्यावरण विज्ञान,

(पांच) रसायन विज्ञान,

(छः) भू-विज्ञान,

(सात) बागवानी,

(आठ) गणित,

(नौ) भौतिकी,

(दस) सांख्यिकी,

(ग्यारह) प्राणी शास्त्र,

(बारह) कृषि,

(तेरह) वानिकी, में से कम से कम किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक डिग्री होना चाहिए।

अथवा

चिकित्सा शिक्षा/आयुष के किसी भी विषय/शाखा में किसी मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक डिग्री होना चाहिए।

अथवा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय फार्मसी परिषद्/वास्तुकला परिषद् के द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के किसी भी विषय/शाखा में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से प्राप्त स्नातक डिग्री, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अमान्य न किया गया हो, होनी चाहिए। यदि इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभिप्रेत है भारत के केंद्र या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान अथवा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में माना जाकर घोषित की गई कोई अन्य शैक्षिक संस्थान।

अथवा

टिप्पणियों कौलम के टीप - दो में यथा उल्लेखित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

टिप्पणियों:-टीप-एक : ऐसे उम्मीदवार, जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं, किन्तु जिसके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है और जिसे पास करने से, वे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा के लिये शैक्षिक रूप से पात्र बन जायेंगे, वे भी उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे समस्त उम्मीदवार, जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्ह घोषित किये जायेंगे, उन्हें साक्षात्कार के समय अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर, ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा, के साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टीप-दो : टीप-एक के अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवार, जो नियम (5) (ख) में विहित शैक्षणिक अर्हता की प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट अर्हता के समकक्ष अर्हता रखते हैं, वे भी उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे समस्त उम्मीदवार, जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किये जायेंगे, उन्हें छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा के साक्षात्कार के समय, भारत के केन्द्र या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में माना जाकर घोषित की गई अन्य शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये स्पष्ट करना होगा कि मौजूदा डिग्री, नियम (5) (ख) में विहित शैक्षणिक अर्हता की प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट कम से कम किसी एक स्नातक डिग्री के समकक्ष है। ऐसा नहीं करने पर, ऐसे उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

टीप-तीन : अपवादिक मामलों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं मान सकता है, जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उसने, किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, जिसका स्तर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के मतानुसार उक्त परीक्षा में उसका शामिल होना न्यायसंगत हो।

टीप - ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(2) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय अभ्यर्थियों तथा मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

अवधि में निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(4) परीक्षा केन्द्र रायपुर, दुर्ग-भिलाई, जगदलपुर, अम्बिकापुर, विलासपुर, बैकुण्ठपुर(कोरिया), धमतरी, दन्तेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुन्द, रायगढ़, राजनांदगांव एवं बलौदाबाजार।

(5) महत्वपूर्ण नोट की कंडिका (i) को विलोपित किया जाता है।

(6) विज्ञापन की कंडिका 6(iii) में उल्लेख है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है, को विलोपित किया जाता है।

(7) सेवा श्रेणी द्वितीय श्रेणी राजपत्रित।

(8) उक्त पद वर्दीधारी एवं फील्ड से संबंधित है जिनका कार्य चुनौतीपूर्ण एवं कानून व्यवस्था एवं मैदानी कार्य होने के कारण निःशक्त व्यक्तियों की धारा 33 के उपबंधों से छूट दी गई है, जिसके कारण निःशक्तता अमान्य किया गया है।

(9) यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम एवं छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014, संशोधित 2019 एवं संशोधित 2021 के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।

(10) आयोग द्वारा जारी छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा-2020 के विज्ञापन क्रमांक 07 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 04 / 06 / 2020 की शेष शर्तें / कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

सही / -

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर